10 COURT FEE १० INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 COURT FEE ५ INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

C. 8B 15/—

R. 1005-III/05

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क्र० /05 निगरानी

श्री एस.पी. ध्याकड़ -एडवोकेट द्वारा आज दि. 7/7/05 को प्रस्तुत।

राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

7 JUL 2005

1- रघुनन्दन सिंह पुत्र शिवलाल वघेल

2- रामआज्ञा सिंह) पुत्रगण रघुनन्दन सिंह वघेल

3- लज्जाराम)

निवासीगण-ग्राम सगरा मजरा गुलालपुरा तहसील व जिला भिण्ड (म०प्र०)

-------- आवेदकगण।

बनाम

1- अतर सिंह) पुत्रगण जोमदार सिंह

2- लक्ष्मण सिंह)

3- रमेश सिंह पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह

4- रन्जीत सिंह पुत्र स्व0 श्री अरविन्द सिंह

5- पप्पु पुत्र स्व0 श्री अरविन्द सिंह सरपरस्त भाई रंजीत सिंह

6- अजमेर सिंह

7- मुन्ना सिंह) पुत्रगण श्री विश्वनाथ सिंह

8- सेवाराम सिंह)

निवासीगण सगरा समस्त जाति ठाकुर (तहसील व जिला भिण्ड -------- अनावेदकगण।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्र०क्र० 138/-

Noted. 12.7.05

7.7.05

(S.R. Dhiman) 7.7.05

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1005 –तीन/2005 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
19-1-16	पूर्व पेशी 18–9–15 अनुसार प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। लेखी बहस अप्राप्त है। 2/ अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 138/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2005 के अनुसार निगरानी अबैटमेंट में समाप्त हुई है जिसका मूल आधार यह है कि अपर आयुक्त के प्रकरण में अनावेदक कमांक–6 , अनावेदक कमांक 2, अनावेदक कमांक 3 की मृत्यु होने पर आवेदक व्दारा मृतकों के वारिसान की जानकारी डेढ़ वर्ष तक बार बार अवसर देने के वाद भी प्रस्तुत नहीं की है जिसके कारण निगरानी अवेट होना मानकर समाप्त कर दी गई है। 3/ अनावेदक क–7 के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो के तथ्यों का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 138/2000–01 में उपलब्ध निगरानी मेमो में अंकित पक्षकारों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह सही है कि अनावेदक कमांक 2 राजेन्द्र सिंह, अनावेदक कमांक 3 अरबिन्द सिंह तथा अनावेदक कमांक 6 लक्ष्मनसिंह की मृत्यु हो चुकी थी तथा उनके वारिसान की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आवेदकगण के अभिभाषक को कई अवसर दिये गये जिसके कारण अपर आयुक्त ने	

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1005 –तीन/2005 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
	निगरानी अबेट होना मानकर निरस्त की है, किन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 138/2000–01 में उक्त तीन मृतक अनावेदकों के अतिरिक्त 5 अन्य अनावेदक भी है जिसके कारण निगरानी केवल मृतक पक्षकारों के हितों तक ही अवेट मानी जावेगी, संपूर्ण निगरानी अवेटमेंट में निरस्त नहीं की जा सकती। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 138/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2005 से निगरानी को अवेट मानकर निरस्त करने में भूल की है। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 138/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2005 त्रृटिपूर्ण होने निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। सदस्य	